हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. [redacted]

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 50575-51564 दिनांक : 31.07.2020

श्रीमान मुख्य न्यायाधीश,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर।

विषयः– बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बाड़ाबंदी को अपराध घोषित किया जाए। विधायकों को मुक्त करायें।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि देश में आज कल विधायकों की बाड़ाबंदी का प्रचलन तेज गति से बढ रहा है। कभी भाजपा विधायकों की बाड़ाबंदी होती हैं, कभी कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी होती हैं, कभी किसी क्षेत्रीय पार्टी के विधायकों की बाडाबंदी होती है। राजनैतिक दलों के द्वारा एक–दूसरे पर खरीद–फरोख्त का आरोप लगाते हुए करोंड़ो रूपये की लेन देन की बातें खुले रूप में की जाती हैं। प्रजातंत्र का राजा आम मतदाता अपने द्वारा चयनित वेतनभोगी जनप्रतिनिधियों की इन घिनोनी करतूतों को असहाय, लाचार और ठगा सा देखते रहने को मजबूर हैं। प्रजातंत्र, कानून का राज और संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार–तार होते हुए देख कर भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका आश्चर्यजनक रूप से निष्क्रिय हैं जबकि न्यायप्रिय नागरिक इनसे आश लगाये बैठे हैं।

पिछले 20 दिनों से राजस्थान राज्य में भी उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण, अविधिक एवं असंवैधानिक घटनायें लगातार देखने को मिल रही हैं। विधायकों को खरीद–फरोख्त के लिए 20 से 30 करोड़ तक की कीमत लगाने के आरोप संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेवार राजनेताओं के बयानों से पुष्ट हो रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा केन्द्र के मंत्री का नाम स्पष्ट रूप से लिया जा रहा हैं। ऑडियो टेप वायरल हो रहे हैं। फौजदारी मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनेक विधायकों की सदस्यता निरस्त करने या निरस्त नहीं करने की याचिकाएँ लगायी जा रही हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री, दो मंत्री और सत्ता धारी दल के 20–22 विधायक अपनी ही सरकार से भयभीत होकर हरियाणा राज्य की सशस्त्र पुलिस के घेरे में सरेआम बाडाबंदी करके बंधक बने हुए हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी दल के लगभग 100 विधायक अपनी ही सरकार की सशस्त्र पुलिस के घेरे में बंधक बने हुए हैं। इनके मोबाइल फोन छीन लिए गये हैं या बन्द करवा दिये गये है। इन विधायकों को चुनने वाला प्रदेश का आम मतदाता, जिसके द्वारा दिए गए कर राजस्व से ये लोग वेतन पाते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से मिल नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी से हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, सैकडों लोग मर रहें है। व्यापारी, किसान, मजदूर, वेतनभोगी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसी की भी पीड़ा को सुनने वाला सत्ताधारी दल का कोई विधायक स्वतंत्र नहीं है, सभी बंधक बने हुए हैं। प्रदेश सरकार अपने ही विधायकों को बाड़ाबंदी के जरिये बंधक बनाकर ये प्रमाणित कर चुकी है कि वह राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम नहीं हैं। अपने विधायकों को उनके स्वयं के घर में सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार यह भी स्वीकार कर चुकी है कि उसके सभी विधायक बिकाऊ हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखते है, कभी भी पैसे के लालच में उनको छोड़ कर भाग सकते हैं। इसीलिए सभी विधायकों को सशस्त्र पुलिस घेरे में बाडाबंदी करके लगातार बंधक बनाये हुए हैं इसके विपरीत विपक्षी दल के विधायक प्रदेश में खुले आम घूम रहे हैं।

(लगातार ——— 2)

हर इंसान-एक समान   एक राष्ट्र-एक जान   मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in   Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-[redacted]

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
...0926850

क्रमांक   (2)   दिनांक :

आज दिनांक 31.07.2020 को प्रदेश के प्रमुख अखबारों– राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, द टाईम्स ऑफ इडिण्या, राष्ट्रदूत के प्रमुख पृष्ठों पर राज्य के मुख्यमंत्री का यह शर्मनाक बयान छपा है कि (सत्ताधारी) विधायकों के रेट (भाव) काफी बढ गये हैं। राज्य सरकार के ये कृत्य अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं, सत्ताधारी विधायकों की साख को गिराने वाले हैं, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और उनको चुनने वाले मतदाताओं को पूरे देश में अपमानित करने वाले हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं प्रकटतः प्रमाणित है कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य कई क्षेत्रीय दल मौका मिलते ही ऐसी करतूतों में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हमें राजनेताओं या ऐसे राजनैतिक दलों की सरकारों से कोई उम्मीद नहीं हैं। अतः देश, संविधान, कानून का राज्य, प्रजातंत्र और आम नागरिक के हित में आपसे प्रार्थना है कि :–

1. विधायकों या सांसदों की किसी भी बाडाबंदी को गैरकानूनी अपहरण व बंधक बनाने का अपराध घोषित किया जावें ।
2. दोषी व्यक्तियों व राजनेताओं को चिन्हित करके उन्हें अपहरण एवं बंधक बनाने का अपराधी मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता, जनप्रतिनिधित्व कानून एवं अन्य कानूनों के अधीन समुचित रूप से दण्डित किया जायें ।
3. राज्य के मुख्यसचिव एवं पुलिस महानिदेशक को आदेशित किया जाये कि सभी बंधक विधायकों को बाडाबंदी से मुक्त करवाकर उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र या जयपुर स्थित सामान्य आवासों में रहने के लिए भेजा जावें एवं उनके मतदाताओं की पहुंच उन तक सुनिश्चित की जावें।
4. विधायकों की खरीद–फरोख्त के गम्भीर आरोपों से संबंधित फौजदारी मुकदमों की जॉच हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश के सुपरविजन में सीबीआई से समयबद्ध रूप से करवाई जावें।

इस पत्र को कृपया पत्र याचिका मानते हुए जनहित में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें ।

प्रार्थी,

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, समता आन्दोलन

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों को प्रेषित करके करबद्ध प्रार्थना है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल एन्टी डिफेक्शन लॉ में संशोधन करके कृपया यह प्रावधान जोड़े कि कोई भी सांसद या विधायक किसी मान्यता प्राप्त दल की टिकट पर निर्वाचित होने के पश्चात किसी भी कारण से त्यागपत्र देता है अथवा दल बदल करता है तो उसे अपने मतदाताओं और राजनैतिक दल से विश्वासघात का दोषी मानते हुये 10 वर्ष के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करार दिया जावें।
2. राजस्थान राज्य के सभी माननीय विधायकों को प्रेषित करके निवेदन है कि उपरोक्त क्रमांक 1 पर अंकित संविधान की अनुसूची 10 में संशोधन का आग्रह प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा में पारित करवा कर कृपया केन्द्र सरकार को भिजवाने का कष्ट करे।

अध्यक्ष, समता आन्दोलन

भारतीय डाक
India Post
BP JAIPUR RMS (302004)
Counter No:2,01/08/2020,14:45
To:CJ,RAJ HIGH COURT
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:PN SHARMA,SANGAM RESIDENCY
Wt:18gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
(Track on www.indiapost.gov.in)